तारीख हुक्म	न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज कालूराम गुर्जर बनाम सीताराम चौधरी फौज0 निगरानी संख्या : 35 / 2026 सीआईएस नम्बर : 63 / 2026 **अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0 एक्ट प्रकरण), क्रम–12, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2026, प्रकरण संख्या 3596 / 2019 उनवानी सीताराम चौधरी बनाम कालूराम गुर्जर.** **पीठासीन अधिकारी सुश्री / श्रीमती सिमरन सिंह वर्मा, आर0जे0एस0**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14.07.2026	अधिवक्तागण निगरानीकर्ता एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। हस्तगत पुनरीक्षण याचिका निगरानीकर्ता / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0 एक्ट प्रकण्रण), क्रम–12, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर के द्वारा प्रकरण संख्या 3596 / 2019 उनवानी सीताराम चौधरी बनाम कालूराम गुर्जर में पारित आदेश दिनांक 30.05.2026 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई है, जिसका निस्तारण किया जा रहा है। निगरानी के सम्बन्ध में उभय पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए उसके समर्थन में तर्क दिये कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन होने के आधार पर खारिज कर कानूनी भूल की है। दिनांक 15.04.2026 को पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता के बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाने के कारण पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता दिनांक 15.04.2026 को जिरह हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जिरह का अवसर बन्द कर पत्रावली बयान मुलजिम हेतु दिनांक 02.05.2026 नियत कर दी गई। पुनरीक्षणकर्ता को जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो पुनरीक्षणकर्ता के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा, इसलिए निगरानी याचिका स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांक 30.05.2026 अपास्त कर जिरह का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका एवं उक्त तर्को का खण्डन करते हुए तर्क दिये कि निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका एक अन्तर्वर्ती आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो	

तारीख हुक्म	न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज कालूराम गुर्जर बनाम सीताराम चौधरी फौज0 निगरानी संख्या : 35 / 2026 सीआईएस नम्बर : 63 / 2026 **अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0 एक्ट प्रकरण), क्रम–12, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2026, प्रकरण संख्या 3596 / 2019 उनवानी सीताराम चौधरी बनाम कालूराम गुर्जर.** **पीठासीन अधिकारी सुश्री / श्रीमती सिमरन सिंह वर्मा, आर0जे0एस0**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कि विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में निगरानीकर्ता / अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा हेतु चाहे गये अवसरों का विस्तृत विवेचन करते हुए सकारण एवं विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई सम्भावना नहीं है और निगरानी याचिका मात्र प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से प्रस्तुत की गई है जिसे सव्यय अस्वीकार किया जावे।

निगरानी के माध्यम से विचारण न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता का परीक्षण किया जाना है।

उभय पक्ष की बहस के तर्कों पर मनन करने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है कि निगरानी याचिका के अधीन विपक्षी की प्रमुख आपत्ति प्रश्नगत आदशों के अन्तर्वर्ती आदेश के होने के कारण दर्शित की गई है जिसके लिए धारा 397 (2) दं0प्र0सं0 का उल्लेख किया गया है। उक्त उपबन्ध में अन्तर्वर्ती आदेश के सम्बन्ध में पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होती है परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त **होन्नैया टी0एच0 बनाम स्टेट ऑफ कनार्टक व अन्य क्रि0अपील नं0 1147 / 2022 निर्णीत दिनांक 05.08.2022** में धारित किया है कि जहां न्याय का हनन और सार्वजनिक न्याय के हित अस्पष्ट अवैधता के कारण परिशुद्ध किये जाने योग्य है तो न्याय के गम्भीर हनन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होने पर अन्तर्वर्ती आदेशों में भी धारा 397 दं0प्र0सं0 के अधीन पुनरीक्षण पर विचार किया जा सकेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **2009 (2) डब्ल्यू एल सी पेज 209 सेठूरमन बनाम राजमणिक्यम** के न्यायिक दृष्टान्त में पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एक सामान्य सिद्धान्त दिया था परन्तु उक्त नवीन निर्णय में अपवादस्वरूप उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जहां अवैधता या न्याय का हनन रोका जाना आवश्यक हो वहां पुनरीक्षण की शक्तियों का

तारीख हुक्म	न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज कालूराम गुर्जर बनाम सीताराम चौधरी फौज0 निगरानी संख्या : 35 / 2026 सीआईएस नम्बर : 63 / 2026 **अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0 एक्ट प्रकरण), क्रम–12, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2026, प्रकरण संख्या 3596 / 2019 उनवानी सीताराम चौधरी बनाम कालूराम गुर्जर.** **पीठासीन अधिकारी सुश्री / श्रीमती सिमरन सिंह वर्मा, आर0जे0एस0**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त स्थिति के प्रकाश में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत निगरानी निगरानीकर्ता की प्रतिपरीक्षा के अवसर को समाप्त किये जाने के कारण प्रस्तुत की गई है और प्रश्नगत आदेश दिनांक 30.05.2026 में विचारण न्यायालय ने जिन आधारों पर उक्त प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया है उसके लिए विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2026 का भी अवलोकन आवश्यक है। दिनांक 30.05.2026 को निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया गया था परन्तु उससे पूर्व दिनांक 15.04.2026 को अभियुक्त को परिवादी से जिरह का अवसर समाप्त किया गया, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए दिनांक 02.05.2026 को निगरानीकर्ता ने आवेदन प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने 30.05.2026 को उक्त आदेश निगरानीकर्ता / अभियुक्त द्वारा चाही गई प्रतिपरीक्षा के अवसरों का उल्लेख करते हुए खारिज कर दिया। निःसंदेह निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित पत्रावली में प्रतिपरीक्षा हेतु कई अवसर चाहे गये, विचारण न्यायालय ने उसे कई बार अवसर दिया था और उसके बाद ही दिनांक 15.04.2026 को प्रतिपरीक्षा समाप्त की गई परन्तु समग्र रूप में प्रकरण का मूल्यांकन यह दर्शित करता है कि प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त किये जाने से निगरानीकर्ता / अभियुक्त की प्रतिरक्षा का प्रकटीकरण विचारण न्यायालय के समक्ष होना सम्भव नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अधीन प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रकट किये जाने का अवसर दिया जाना दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए आवश्यक है। चूंकि प्रतिपरीक्षा समाप्त कर देने से निगरानीकर्ता की विधिक प्रतिरक्षा के अधिकार का अवसान हुआ है और निगरानीकर्ता की दृष्टि से यह न्याय का हनन माना जा सकता है इसलिए हस्तगत निगरानी याचिका सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।	

तारीख हुक्म	न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज कालूराम गुर्जर बनाम सीताराम चौधरी फौज0 निगरानी संख्या : 35 / 2026 सीआईएस नम्बर : 63 / 2026 **अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0 एक्ट प्रकरण), क्रम–12, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2026, प्रकरण संख्या 3596 / 2019 उनवानी सीताराम चौधरी बनाम कालूराम गुर्जर.** **पीठासीन अधिकारी सुश्री / श्रीमती सिमरन सिंह वर्मा, आर0जे0एस0**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

:: आदेश ::

परिणामतः निगरानीकर्ता / अभियुक्त कालूराम गुर्जर पुत्र श्री रामकण गुर्जर की ओर से प्रस्तुत हस्तगत पुनरीक्षण याचिका 5,000 / –रूपये कोस्ट पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 30.05.2026 अपास्त किया जाता है। कोस्ट अदायगी पूर्ववर्ती शर्त होगी। विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वे निगरानीकर्ता / अभियुक्त को परिवादी से प्रतिपरीक्षा का एक मात्र अवसर देवे, विपक्षी / परिवादी तद्दिनांक को प्रतिपरीक्षा हेतु न्यायालय में उपस्थित रहे एवं निगरानीकर्ता को भी आदेशित किया जाता है कि यदि वह उक्त एक मात्र अवसर पर परिवादी से प्रतिपरीक्षा नहीं करता है तो उसका परिवादी से प्रतिपरीक्षा के अवसर का अधिकार समाप्त माना जावेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर